न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 124/2022 **दायर दिनांकः 08/08/2022**

उनवान

1. जयलाल उर्फ जयपाल आयु 64 वर्ष पुत्र रामकंवरी जाति मीना निवासी बोकडा तहसील अटरू हाल निवासी रारोती तहसील बारां जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–

वादी :–विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय दिनाकः 09/02/2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91 आर टी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल बोकडा पटवार हल्का जीरोद तहसील अटल जिला बारा (राज0) की खाता संख्या 11 का ख.नं. 308 का रकबा 0.21 हे0, ख.नं. 518 का रकबा 0.82 हे0, ख.नं. 520/813 का रकबा 0.04 हे0 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.07 हेक्टर आराजी वादी एवं अन्य सहखातेदारान के शामलाती दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में से सहखातेदार शोधरा बाई, प्रतापी बाई पुत्रिया रामकंवरी निवासीगण बोकड़ा तहसील अटरू ने अपने हिस्से की आराजी का हक त्याग दिनांक 11. 06.2019 को वादी के पक्ष में किया था तथा कन्हैयालाल, बद्रीलाल पुत्रान रामकंवरी जाति मीना निवासीगण बोकड़ा ने अपने हिस्से की आराजी का वादी के पक्ष में हक त्याग दिनांक 20.06.2019 को अन्य ग्राम कुन्जैड़ की खाता संख्या 25 का ख.नं. 674 का रकबा 0.37 हे0 एवं ग्राम खुरी की खाता संख्या 28 का ख.नं. 564 का रकबा 0.19 हे० आराजी के साथ उप पंजीयक अटरू के यहां किया था जिसमें ग्राम कुन्जैड़ व ग्राम खुरी की आराजी का हक त्याग का नामान्तकरण तो पटवार हल्का द्वारा जयलाल पुत्र स्व0 रामकवरी के नाम से सही तस्दीक कर दिया परन्तु ग्राम बोकड़ा पटवार हल्का जीरोद की आराजी में किये गये हक त्याग का नामान्तकरण वादी के पक्ष में नही

खोला गया है जिससे वादी अपने हक व अधिकार से वंचित हो रहा है इसलिए ग्राम बोकड़ा की आराजी में हक त्याग के आधार पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे जिसका वादी अधिकारी व नॉलिसी है दोनों हक त्याग एवं नामान्तकरण की प्रतियां साथ में संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाना सम्भव नहीं है। यदि वादी को खातेदार कृषक घोषित नही किया गया तो वादी अपने कब्जे काश्त एवं हक अधिकारों से वंचित हो जावेगा तथा सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले पावेगा। जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अस्तु वादी को वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर खातेदार कृषक घोषित कर नामान्तकरण तस्दीक करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जाये। वाद कारण प्रथम दिनांक 18.10.2021 को पटवार हल्का द्वारा वादी के पक्ष में हक त्याग के आधार पर वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का अपने पक्ष में नामान्तकरण नही खोलने की जानकारी देने पर तथा अन्तिम बार अप्रार्थी द्वारा दिनांक 20.07.2022 को न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम बोकड़ा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वादी द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से राजस्थान सरकार जयें जिला कलेक्टर महोदय बारां को रजिस्टर्ड नोटिस मियादी 2 माह अन्तर्गत धारा 80 जा०दी० प्रेषित करवा दिया है लेकिन शोधरा, प्रतापी पुत्रियां रामकंवरी व कन्हैयालाल, बद्रीलाल पुत्रान रामकंवरी के द्वारा किये गये हक त्याग का नामान्तकरण वादी के पक्ष में दर्ज नही करने से सरकारी योजनाओं से वंचित होने के कारण वाद आवश्यक प्रकृति का होने की वजह से नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा०दी० के साथ माननीय न्यायालय में याद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी का प्रार्थना पत्र 80 (2) जा० दी० स्वीकार फरमाया जाकर वादी के बाद की नियमित रूप से सुनवाई की जाये। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने तथा वाद खातेदारी घोषणा का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू को प्रतिवादी बनाकर यह वाद पेश किया गया है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद उचित न्याय शुल्क पर एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जायेः– (अ) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का हक त्याग दिनांक 11.06.2019 व 20.06.2019 के आधार पर वादी को खातेदार कृषक घोषित कर नामान्तकरण

तस्दीक करने के आदेश अप्रार्थी को दिया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw1 जयलाल उर्फ जयपाल पुत्र रामकंवरी जाति मीना निवासी बोकड़ा तहसील अटरू हाल निवासी रारोती तहसील बारां का शपथ पत्र पेश किया गया तथा सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने सशपथ बयान किया कि ग्राम एवं माल बोकडा पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0) की खाता संख्या 11 का ख. नं. 308 का रकबा 0.21 हे0. ख.नं. 518 का रकबा 0.82 हे0, ख.नं. 520/813 का रकबा 0.04 हे0 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.07 हेक्टर आराजी मेरे एवं अन्य सहखातेदारान के शामलाती दर्ज खाता स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में से सहखातेदार शोधरा बाई, प्रतापी बाई पुत्रिया रामकंबरी निवासीगण बोकड़ा तहसील अटरू ने अपने हिस्से की आराजी का हक त्याग दिनांक 11.06.2019 को मेरे पक्ष में किया था तथा कन्हैयालाल, बद्रीलाल पुत्रान रामकंवरी जाति मीना निवासीगण बोकड़ा ने अपने हिस्से की आराजी का मेरे पक्ष में हक त्याग दिनांक 20.06.2019 को अन्य ग्राम कुन्जैड़ की खाता संख्या 25 का ख.नं. 674 का रकबा 0.37 हे0 एवं ग्राम खुरी की खाता संख्या 28 का ख.नं. 564 का रकबा 0.19 हे0 आराजी के साथ उप पंजीयक अटरू के यहां किया था जिसमें ग्राम कुन्जैड व ग्राम खुरी की आराजी का हक त्याग का नामान्तकरण तो पटवार हल्का द्वारा जयलाल पुत्र स्व0 रामकवरी के नाम से सही तस्दीक कर दिया परन्तु ग्राम बोकड़ा पटवार हल्का जीरोद की आराजी में किये गये हक त्याग का नामान्तकरण मेरे पक्ष में नही खोला गया है जिससे मैं अपने हक व अधिकार से वंचित हो रहा हूं इसलिए ग्राम बोकड़ा की आराजी में हक त्याग के आधार पर मुझे खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

3. अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दोरान वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम बोकडा तहसील अटरू स्थित विवादित आराजी में से सहखातेदार शोधरा बाई, प्रतापी बाई पुत्रियां रामकंवरी द्वारा दिनांक 11.06.2019 को एवं कन्हैयालाल, बद्रीलाल पुत्रान रामकंवरी द्वारा दिनांक 20.06.2019 को रजि0 हक त्याग वादी के पक्ष में करवाया था जिनका बार बार निवेदन करने पर भी तहसीलदार द्वारा आज दिनांक तक खोला गया नामान्तरण संख्या 492 दिनांक 15.09.2021 वादी पक्ष में तस्दीक नहीं किया गया है। अभिभाषक

वादी ने आगे कथन किया कि सहखातेदार– शोधरा बाई व प्रतापी बाई द्वारा वादी के पक्ष में किये गये रजि0 हक त्याग का ग्राम कुन्जेड की खाता संख्या 25 में नामान्तरण संख्या 1136 दिनांक 29. 11.2021 एवं ग्राम खुरी की खाता संख्या 28 में नामान्तरण संख्या 1240 दिनांक 20.10.2021 तस्दीक होकर वादी के खाते दर्ज हो चुके है लेकिन ग्राम बोकडा में करवाये गये रजि0 हक त्याग दिनांक 11.6.2019 तथा दिनांक 20.06.2019 के आधार पर वादी के पक्ष में नामान्तरण खुलकर तस्दीक नहीं हुआ है। अतः रजि0 हक त्याग दिनांक 11.6.2019 तथा दिनांक 20.06.2019 के आधार पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

4. वादी द्वारा अपने समर्थन में pw1 जयलाल उर्फ जयपाल पुत्र रामकंवरी जाति मीना निवासी बोकड़ा तहसील अटरू हाल निवासी रारोती तहसील बारां का शपथ पत्र, ग्राम बोकडा की जमाबंदी संवत 2073–76 प्रदर्श 1, ग्राम खुरी की जमाबंदी संवत 2073–76 प्रदर्श 2, ग्राम कुजेंड की नामान्तरण पंजिका प्रदर्श 3, ग्राम खुरी की नामान्तरण पंजिका प्रदर्श 4, रजि0 हकत्याग दिनांक 20. 06.2019 प्रदर्श 5ए, रजि0 हकत्याग दिनांक 11.06.2019 प्रदर्श 6 ए, ग्राम बोकडा की जमाबंदी संवत 2061–64 एवं 2069–72 प्रदर्श 7 व 8, ग्राम कुंजेड की नामान्तरण पंजिका प्रदर्श 9 पेश किये गये।

5. अभिभाषक वादी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत ग्राम बोकडा की जमाबंदी संवत 2061–64 प्रदर्श 7 के अवलोकन से जाहिर है कि खाता संख्या 83 के ख0नं0 308, 518, 520/813 किता 3 रकबा 1.07 है0 आराजी मु. रामकंवरी पुत्री राधाकिशन के खाते दर्ज थी जो मृतक खातेदार रामकंवरी के वारीसान कन्हैयालाल, जयलाल, शोधरा, सीता चम्पा, प्रतापी के खाते जरिये फौती नामा. संख्या 205 दर्ज हुई। ग्राम ग्राम बोकडा की जमाबंदी संवत 2073–76 प्रदर्श 1 के अनुसार ख0नं0 308 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 518 रकबा 0.82 है0, ख0नं0 520/813 रकबा 0.04 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.07 है0 आराजी वादी व 6 अन्य सहखातेदारों के 1/7–1/7 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इन 7 सहखातेदारों में से 4 सहखातेदार –कन्हैयालाल व बद्रीलाल पुत्रान रामकंवरी ने जरिये रजि0 हकत्याग पत्र दिनांक 20.06.2019 एवं शोधराबाई, प्रतापी बाई पुत्रियां रामकंवरी ने जरिये रजि0 हकत्याग दिनांक 11.06.2019 वादी जयलाल उर्फ जयपाल पुत्र रामकंवरी के पक्ष में हकत्याग किया गया जिसका इंतकाल संख्या 492 दिनांक 15. 09.2021 खोला गया **जो अभी तक प्रकियाधीन है** अर्थात सक्षम अधिकारी द्वारा तस्दीक/लॉक नहीं किया गया है। उक्त जमबंदी प्रदर्श 1 में सहखातेदारान के पिता का नाम भैरूलाल है जबकि पेश रजि0 हकत्याग पत्र में रामकंवरी अंकित है। ग्राम खुरी की जमाबंदी संवत 2074–77 प्रदर्श 2 के

अवलोकन से स्पष्ट है कि ख0नं0 564 रकबा 0.19 है0 में सहखातेदार शोधरा बाई व प्रतापी बाई पुत्रीयां रामकंवरी द्वारा किये गये रजि0 हकत्याग दिनांक 11.06.2019 का वादी के पक्ष में इंतकाल संख्या 1240 दिनांक 20.10.2021 तस्दीक होकर हिस्सा वादी के खाते दर्ज हो चुका है। ग्राम कुंजेड की नामान्तरण पंजिका प्रदर्श 3 के अवलोकन से जाहिर होता है कि आराजी ख0नं0 674 रकबा 0. 37 है0 में सहखातेदार कन्हैयालाल, बद्रीलाल पुत्रान रामकंवरी द्वारा वादी के पक्ष में किये गये रजि0 हकत्याग दिनांक 20.06.2019 का नामान्तरण संख्या 1136 दिनांक 29.11.2021 तस्दीक होकर हिस्सा वादी के खाते दर्ज हो चुका हैं। पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलबध नहीं है जिसके आधार पर उक्त हकत्याग पत्रों के किसी सक्षम न्यायालय से खारिज होना प्रतित होता हो या हकत्याग कर्ताओं द्वारा कोई आपत्ति पेश की गई हो। अतः उक्त हकत्याग पत्रों के आधार पर वादी इनके हिस्से की आराजी अपने पक्ष में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम बोकडा की आराजी खाता संख्या 11 कुल किता 3 कुल रकबा 1.07 है0 पर रजि0 हकत्याग दिनांक 11.06.2019 व 20.06.2019 के आधार पर सहखातेदार–कन्हैयालाल, बद्रीलाल, शोधराबाई, प्रतापीबाई का संयुक्त हिस्सा 4/7 वादी के खाते दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं रजि0 हकत्याग दिनांक 11.06.2019 व 20.06.2019 के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाता है। ग्राम बोकडा की विवादित आराजी ख0नं0 308 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 518 रकबा 0.82 है0, ख0नं0 520/813 रकबा 0.04 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.07 है0 आराजी में कन्हैयालाल, बद्रीलाल, शोधराबाई, प्रतापीबाई पुत्र/पुत्री भैरूलाल के 4/7 हिस्से पर वादी जयलाल उर्फ जयपाल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 124/2022 **दायर दिनांकः 08/08/2022**

उनवान

1. जयलाल उर्फ जयपाल आयु 64 वर्ष पुत्र रामकंवरी जाति मीना निवासी बोकडा तहसील अटरू हाल निवासी रारोती तहसील बारां जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–

वादी :–विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू ....ग..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम बोकडा की विवादित आराजी ख0नं0 308 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 518 रकबा 0.82 है0, ख0नं0 520/813 रकबा 0.04 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.07 है0 आराजी में कन्हैयालाल, बद्रीलाल, शोधराबाई, प्रतापीबाई पुत्र/पुत्री भैरूलाल के 4/7 हिस्से पर वादी जयलाल उर्फ जयपाल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग...................... मुबालिक ....ग................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग.................................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.02.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)